"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 292] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 अक्टूबर 2007—कार्तिक 4, शक 1929

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक 9117/डी-3099/21-ब/छ. ग./07 रायपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2007

अधिसूचना

बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान

प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा विधि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने, प्रोत्साहित करने और मान्यता देकर उनकी विशेष पहचान बनाने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय सम्मान की स्थापना की है एवं ऐसे व्यक्तियों को "बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान" देने का निर्णय लिया गया है. सम्मान के विनियमन एवं प्रक्रिया हेतु राज्य शासन निम्न नियम निर्मित करते हैं :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल पुरस्कार नियम, 2007 है. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.**

(2) ये नियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील होंगे.

(3) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन तिथि से प्रभावशील होंगे.

परिभाषा. 2. इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "सम्मान के लिए पात्र व्यक्ति" सम्मान के लिए पात्र व्यक्ति से अभिप्रेत नियम 9 के अंतर्गत निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा चयनित व्यक्ति से है ;

(ख) "निर्णायक मंडल" निर्णायक मंडल से अभिप्रेत नियम 4 के अधीन गठित निर्णायक मंडल (जूरी) से है.

सम्मान का स्वरूप. 3. विधि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने एवं महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को "बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान" पुरस्कार स्वरूप राशि रुपये 1.00-1.00 लाख (एक-एक लाख रुपये) प्रति व्यक्ति नगद सम्मान तथा प्रतीक चिन्ह से युक्त पट्टिका प्रशस्ति पत्र के साथ दी जाएगी.

निर्णायक मंडल (जूरी) का गठन. 4. राज्य शासन, विधि के क्षेत्र में कार्य के जानकार 04 व्यक्तियों को मिलाकर लिखित आदेश से निर्णायक मंडल (जूरी) का गठन कर सकेगा एवं उनमें से किसी एक को अध्यक्ष नियुक्त कर सकेगा.

निर्णायक मंडल (जूरी) का शक्तियां. 5. (1) प्रत्येक वर्ष के सम्मान के लिए दो व्यक्तियों का चयन किया जाएगा.

(2) निर्णायक मंडल (जूरी) की बैठक में संपूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहेगी एवं उसके द्वारा सर्वानुमति से की गई लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुए विचार-विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जाएगा.

(3) संबंधित सम्मान वर्ष के लिए प्राप्त प्रविष्टियों के अलावा निर्णायक मंडल (जूरी) स्वविवेक से ऐसे व्यक्तियों के नाम पर भी जिन्हें वह सम्मान के उद्देश्यों के लिए उपयुक्त समझें, विचार कर सकेगा.

(4) निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा किया गया चयन अंतिम एवं राज्य शासन के लिए बंधनकारी होगा.

(5) सम्मान के चयन के विरुद्ध कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जाएगी.

चयन की प्रक्रिया. 6. (1) सम्मान प्रदान किये जाने वाले वर्ष के लिए प्रमुख सचिव/सचिव (विभाग प्रभारी) विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा राज्य स्तरीय समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कर सम्मान के लिए पात्र व्यक्तियों से विहित प्रारूप में आवेदन प्राप्त करेगा.

(2) निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जा सकेगा.

(3) चयन के लिए निम्न जानकारी आवेदक द्वारा दिया जाना आवश्यक होगा :—

(क) व्यक्ति का पूर्ण परिचय.

(ख) विधि के क्षेत्र में अभिनव प्रयत्नों के लिए किये गये उत्कृष्ट कार्यों की संप्रमाण विस्तृत जानकारी.

(ग) यदि कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त किया हो तो उसका विवरण.

(घ) विधि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य तथा इसके सैद्धांतिक पक्ष के विषय में प्रकाशित साहित्य की फोटोप्रति (सत्यापित).

(च) विधि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र/पत्रिकाओं/ग्रंथ के माध्यम से उपलब्ध साहित्य.

(छ) चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने के बारे में व्यक्ति की लिखित सहमति.

(4) जानकारी के साथ पात्र आवेदक को अपने द्वारा प्रस्तुत जानकारी तथा दस्तावेज (पत्र, प्रमाण-पत्र, कतरन, प्रतिवेदन आदि) के सही और वास्तविक होने की घोषणा करना आवश्यक होगा.

(5) सम्मान के संबंध में जानकारी के अलावा पश्चात्वर्ती पत्र व्यवहार स्वीकार्य नहीं होगा.

(6) प्रविष्टि के तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का रहेगा. राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं होगा न ही प्रस्तुतकर्ता के किसी कृत्य के लिये राज्य शासन उत्तरदायी होगा.

(7) निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन प्राप्ति तिथि सहित इस हेतु संधारित पंजी में पंजीकृत किया जावेगा.

क्र. एवं प्राप्ति दिनांक	सम्मान हेतु व्यक्ति का. का नाम तथा पता	प्रविष्टिकर्ता का नाम, पद एवं पता	प्राप्त कुल पृष्ठों की संख्या	अन्य विवरण
1	2	3	4	5

(8) विधि विभाग, प्राप्त आवेदनों के आधार पर निर्णायक मंडल के लिए संक्षेपिका तैयार करेगी, जिसमें निम्न जानकारियों का समावेश किया जायेगा :—

(1) व्यक्ति का नाम एवं पता
(2) प्रस्तावक
(3) 'सम्मान' विषयक की उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा
(4) पूर्व में प्राप्त पुरस्कार/सम्मान.
(5) प्रमाण/टिप्पणियां/आलेख
(6) सम्मान ग्रहण करने बाबत सहमति

चयन के लिए मानदण्ड.

7. सम्मान के लिए चयन का निम्नलिखित मानदंड होगा :—
(1) समर्पित भाव से विधि के क्षेत्र में दीर्घकालीन उत्कृष्ट सेवा.
(2) विधि के क्षेत्र में उनके द्वारा किये गये सेवा और योगदान का समाज में प्रभाव.

आवेदन हेतु अनर्हता.

8. निर्णायक मंडल (जूरी) के सदस्य एवं उसके परिवार के व्यक्ति उस वर्ष के सम्मान के लिए आवेदन करने हेतु अनर्हित होंगे, जिस वर्ष के लिए वे सदस्य निर्णायक मंडल (जूरी) के सदस्य नियुक्त किये गये हैं.

सम्मान की घोषणा.

9. निर्णायक मंडल अपना निर्णय गोपनीय रूप से राज्य शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग को प्रस्तुत करेगा. सम्मान के लिए चयनित व्यक्तियों की घोषणा राज्य शासन द्वारा निर्णायक मंडल के निर्णय प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर की जायेगी.

अलंकरण समारोह.

10. पुरस्कारों का अलंकरण समारोह वर्ष में एक बार, संस्कृति संचालनालय द्वारा आयोजित की जाएगी तथा समारोह में भाग लेने के लिए चयनित व्यक्तियों को आमंत्रित किया जावेगा.

व्यय एवं पूर्ति.

11. (1) चयन के लिए आमंत्रित किये गये निर्णायक मंडल (जूरी) के सदस्य राज्य के प्रथम श्रेणी अधिकारियों के समकक्ष यात्रा-भत्ता एवं अन्य भत्ते प्राप्त करने के अधिकारी होंगे.

(2) सम्मान के लिए पात्र व्यक्ति को विशेष परिस्थिति में अपने साथ एक सहायक लाने की छूट उनके आवेदन पर संस्कृति संचालनालय द्वारा दी जा सकेगी.

(3) सम्मान एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर व्यय की पूर्ति छत्तीसगढ़ शासन करेगा.

(4) सम्मान के लिए पात्र व्यक्ति एवं विशेष परिस्थिति में उनके सहायक को यात्रा और आवास की सुविधा होगी एवं उन्हें इस हेतु राज्य शासन के प्रथम श्रेणी अधिकारी के समकक्ष यात्रा भत्ता की पात्रता होगी.

अभिलेख का संधारण.

12. प्राप्त प्रविष्टियां एवं चयन का रिकार्ड एक अलग-अलग जिल्द में संचालनालय संस्कृति, संधारित करेगी. चयनित व्यक्ति के विधि के क्षेत्र के संबंध में समारोह के समय एक सचित्र स्मारिका संस्कृति विभाग द्वारा जारी की जावेगी जिसमें सम्मान के उद्देश्य, स्वरूप, सम्मान प्राप्ति के विवरण आदि का समावेश होगा.

नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन.

13. राज्य शासन के विधि विभाग को सम्मान के नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा. इन नियमों में अंतर्निहित प्रावधानों के संबंध में प्रमुख सचिव विधि विभाग की व्याख्या अंतिम होगी. ऐसे मामले जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है, को निराकृत करने अथवा क्रियान्वयन हेतु युक्तियुक्त निर्देश देने की शक्ति प्रमुख सचिव, विधि विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. पाठक, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.